

फा.सं.3/7/2014-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,
नई दिल्ली

दिनांक: 8 अक्टूबर, 2014

निविदा सूचना

विषय: संविदाआधार पर नौ चपरासी/बहु-कार्य कर्मचारी को भाड़े पर लेने के लिए कोटेशन आमंत्रित करना।

संसदीय कार्य मंत्रालय में 6 मास की अवधि के लिए संविदा आधार पर नौ चपरासी/बहु-कार्य कर्मचारी उपलब्ध करवाने के लिए नामी सेवा प्रदाताओं से मजदूरी कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अवधि मंत्रालय की इच्छानुसार समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है। इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं:-

1. प्रत्येक बोलीदाता को द्वि-बोली प्रक्रिया अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के माध्यम से अपनी बोली प्रस्तुत करनी आवश्यक है। तकनीकी और वित्तीय बोली के लिए निबंधन और शर्तें अनुबंध में दी गई हैं।
2. बोलीदाता के पास वैध पैन नम्बर और टिन नम्बर होना चाहिए और उसे उसकी सत्यापित फोटो प्रतियां भी भेजनी होंगी।
3. प्रत्येक बोलीदाता को "वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के नाम देय रु.9,000/- के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी अपेक्षित है। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा के बारे में अंतिम निर्णय ले लिए जाने पर लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा के लागू रहने तक बतौर निष्पादन प्रतिभूति रख ली जाएगी।
4. सेवाकी अवधि को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है।
5. कोटेशनों का लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "चपरासी/बहु-कार्य कर्मचारी को भाड़े पर रखने के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए तथा उसे डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप

- से भेजा जाना/सौंपा जाना चाहिए ताकि वह अधोहस्ताक्षरी के पास सोमवार, 27 अक्टूबर, 2014 को अपराह्न 2.30 बजे तक अथवा उससे पहले तक पहुंच जाए।
6. बोलीदाता को कीमत और सेवाकर, यदि कोई है, तो पृथक रूप में दर्शाना चाहिए।
 7. बोलियों को उसी दिन अर्थात् 27 अक्टूबर, 2014 को अपराह्न 3.30 बजे उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कक्ष में खोला जाएगा। संविदा दरों को खोले जाने के समय उपस्थित रहने की इच्छुक फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ऐसा करने की अनुमति होगी परंतु उन्हें एक पहचान पत्र और फर्म के लैटर-हेड पर एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
 8. यह टेंडर नोटिस संसदीय कार्य मंत्रालय की वैबसाइट अर्थात् <http://www.mpa.gov.in> के अतिरिक्त eprocure.gov.in (CPP Portal) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
 9. संविदा के निष्पादन से उत्पन्न हुए किसी विवाद की स्थिति में मामला इस मंत्रालय के विभागाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा।
 10. संविदा/आपूर्ति आदेश से उत्पन्न विवाद, यदि कोई होगा, का न्यायिक न्यायनिर्णय केवल दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
 11. किसी भी रूप में अपूर्ण बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे अस्वीकृत कर दी जाएंगी।
 12. संसदीय कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत करने अथवा न्यूनतम बोलीदाता को ठेका नहीं देने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

भवदीय,

ह./-

(रामेश्वर प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन : 23034899

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनियोजित किए गए पूर्तिकारों को, यदि वे इच्छुक हों, अपनी दरें भेजने का अनुरोध किया जाए।

2. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि टेंडर नोटिस मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए और 28 अक्टूबर, 2014 को अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाए।

तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए निबंधन और शर्तें

तकनीकी बोली संबंधी अपेक्षाएं

1. उम्मीदवार 27 अक्टूबर, 2014 को किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।
2. चपरासियों/बहुकार्य कर्मचारियों को छुट्टी के दिनों सहित चौबीस घंटे इयूटी पर रहना पड़ सकता है जिसके लिए उन्हें किसी समयोपरि भते/भते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. फर्म को भुगतान इस संबंध में बिल प्रस्तुत करने पर 2% की दर से टी.डी.एस. काट कर मासिक आधार किया जाएगा।
4. कंपनी/फर्म/एजेंसी को उचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।
5. ई.पी.एफ. की राशि और ई.एस.आई. संबंधी कटौती दर्शाने वाले प्रमाणपत्र की प्रतियां।
6. सेवाकर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां।
7. कंपनी/फर्म काली सूची में शामिल नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय बोली संबंधी अपेक्षाएं

1. वित्तीय बोली प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।